न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3694–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 1.7.2014 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, मण्डल सोडलपुर, तहसील रहटगांव, प्रकरण क्रमांक 34/अ–12/2013–2014.

1. श्रीराम पिता नारायणदास बजाज,
2. श्यामसुन्दर पिता नारायणदास बजाज
3. विजय कुमार पिता नारायणदास बजाज

सभी निवासीगण छत्रपति शिवाजी वार्ड, हरदा, तहसील व जिला हरदा, म0प्र0 .....आवेदकगण

विरूद्ध

महेन्द्र कुमार पिता प्रेमनारायण दुबे, निवासी ग्राम पानतलाई, तहसील रहटगांव, जिला हरदा .....अनावेदक

श्री पवन शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री नितिन स्थापक, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/7/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, मण्डल सोडलपुर, तहसील रहटगांव द्वारा पारित आदेश 1.7.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक महेन्द्र कुमार द्वारा तहसीलदार टिमरनी के समक्ष अनावेदक के स्वामित्व की भूमि ग्राम पानतलाई स्थित सर्वे क्रमांक 109/–1, 111 रकबा 4.221 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क्रमांक 34/अ–12/2013–2014 दर्ज किया जाकर, दिनांक 1.7.2014 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्को में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

1. राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन में आवेदकगण को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है ।
2. संहिता 41 के अंतर्गत ग्राम कोटवार द्वारा सीमांकन की सूचना पड़ोसी कृषकों को नहीं दी जा सकती है । जबकि तथाकथित इस प्रकरण में कोटवार द्वारा सूचना भिजवाने का उल्लेख है ।
3. आवेदकगण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की शिकायत की गई थी, इसी कारण अनावेदक द्वारा बदले की भावना से सीमांकन कराया गया है ।
4. पड़ोसी कृषकों को सीमांकन की सूचना नहीं दी गई है, जबकि संहिता की धारा 129 के अंतर्गत सीमांकन में पड़ोसी कृषकों को व्यक्तिशः सूचना दिया जाना आवश्यक है ।
5. आवेदकगण पृथक–पृथक निवास करते हैं, सूचना पत्र में आवेदक क्रमांक 1 के बाहर जाने की टीप अंकित है, जबकि वह घर पर ही थे, आवेदक क्रमांक 2 के सम्बन्ध में टीप है कि लेने से इन्कार किया, उक्त टीप कोटवार ने अंकित की है । इसी प्रकार आवेदक क्रमांक 3 को सूचना पत्र दिया ही नहीं गया । इस प्रकार संहिता की धारा 129 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सूचना पत्र की तामीली नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में आवेदकगण की अनुपस्थिति में किया गया सीमांकन निरस्ती योग्य है ।
6. सूचना पत्र की तामीली के समय पंचनामा बनाये जाने का प्रावधान है, उक्त प्रावधान का पालन भी सूचना पत्र की तामीली में नहीं किया गया । सीमांकन प्रतिवेदन में भी इस बात का उल्लेख है कि आवेदकगण की अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है ।
7. जिस दिनांक 1.7.2014 को सीमांकन करना बताया गया है, उस दिनांक ग्राम पानतलाई में काफी वर्षा हुई थी, इस कारण सीमांकन किया जाना संभव नहीं था । वैसे भी 15 जून के पश्चात् सीमांकन कार्य नहीं किया जाता है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

1. सीमांकन दिनांक 1.7.2014 को किये जाने की विधिवत् सूचना पड़ोसी कृषकों एवं आवेदकगण को जारी की गई है, जिसे लेकर ग्राम कोटवार निर्भयदास आवेदकगण के पास गया, जहां पर आवेदक क्रमांक 2 श्यामसुन्दर मिले, श्यामसुन्दर ने अपनी हस्तलिपि में सूचना पत्र पर यह टीप अंकित की है कि श्रीराम वल्द नारायणदास हरदा से बाहर गये हैं, इसलिये उपस्थित नहीं है, और स्वयं ने सूचना पत्र लेने से इन्कार कर दिया, जिसके सम्बन्ध में कोटवार ने टीप अंकित है । अनावेदक की 40 डिसमिल भूमि आवेदकगण के कब्जे में पाई गई है, और आवेदकगण तीनों सह भूमिस्वामी होकर एक ही स्थान पर कपड़े का व्यवसाय करते हैं, और एक ही स्थान पर निवास करते हैं । ऐसी स्थिति में आवेदकगण यह कथन नहीं कर सकते हैं कि सीमांकन की उन्हैं सूचना नहीं दी गई ।
2. संहिता की अनुसूची–1 के नियम 4 से 9 तक तामीली की प्रक्रिया दी गई है, जिसके तहत सूचना पत्र की तामीली सम्मन किये गये व्यक्ति की अनुपस्थिति में कुटुम्ब के वयस्क सदस्य पर तामीली की जा सकेगी, जो उसके साथ निवास करता है । इस प्रकार सूचना पत्र की तामीली विधिवत् हुई है ।
3. आवेदकगण की भूमि में अनावेदक की 40 डिसमिल भूमि निकली है, अतः उक्त भूमि का कब्जा न सौंपना पड़े इस उद्देश्य से संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बान में डालने के लिये यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त योग्य है ।
4. सीमांकन में आवेदक क्रमांक 1 का पुत्र एवं आवेदकगण की भूमि पर कृषि कार्य करने वाले कर्मचारी उपस्थित थे, किन्तु जानबूझकर दूर खड़े होकर कार्यवाही देखते रहे ताकि पंचनामा पर हस्ताक्षर न करना पड़े ।
5. पड़ोसी ग्राम वासी गौरीशंकर, राजेश एवं अशोक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सीमांकन विधिअनुसार होने की पुष्टि की है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण को

सीमांकन किये जाने के संबंध में विधिवत् सूचना पत्र जारी किये गये हैं और आवेदक कमांक 2 श्यामसुन्दर द्वारा सूचना पत्र लेने से इंकार किया गया है । स्पष्ट है कि आवेदक कमांक 2 को सीमांकन किये जाने की सूचना थी और आवेदकगण आपस में भाई है इसलिये यह मान्य नहीं किया जा सकता है कि सीमांकन की सूचना आवेदकगण को नहीं थी । राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् सीमांकन किया जाकर मौके पर सीमांकन पंचनामा, फील्डबुक व नक्शा तैयार किया गया है एवं सीमांकन प्रतिवेदन भी बनाया गया है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 1–7–2014 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर